भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2398

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए एक वर्षीय एम.ए.

2398. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नियमित विभाग द्वारा एक वर्ष का एम.ए. पाठ्यक्रम लागू किए जाने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय के मुक्त शिक्षा विद्यालय (एसओएल) ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) के स्नातकों के लिए अभी तक इसे शुरू नहीं किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह स्थिति एनईपी, 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक समानता, लचीलेपन और क्रेडिट जोड़े जाने के प्रावधानों को कमजोर कर रही है तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त समस्या के कारण एलएलबी जैसे नियमित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से एक वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने के लाभ से वंचित हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान एफवाईयूपी के स्नातकों के लिए एसओएल में एक वर्षीय एम.ए. कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) द्वारा क्या ठोस एवं समयबद्ध उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ.) क्या यूजीसी और डीईबी ने चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान एसओएल में एक वर्षीय एम.ए. कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं या जारी करने का विचार है या प्रवेश नियमों में आवश्यक संशोधन करने का विचार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस विसंगति से छात्रों के एफवाईयूपी के चौथे वर्ष में प्रवेश लेने के लिए हतोत्साहित होने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): दिल्ली विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त संगठन है और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 और उसके तहत बनाए गए संविधियों और अध्यादेशों द्वारा शासित है। यह पूरे देश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और वहनीय शिक्षा प्रदान करता है जिसमें मुक्त शिक्षा विद्यालय (एसओएल) सहित पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कॉलेज शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि मुक्त शिक्षा विद्यालय (एसओएल) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के तहत एक वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के तहत एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के संबंध में परिपत्र जारी किया है। यूजीसी ने यह भी सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के नियम 2 (य) के अनुसार, कानून और उनके संबद्ध डोमेन सहित कुछ कार्यक्रमों को उच्चतर शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा मोड तथा ऑनलाइन मोड के दायरे से बाहर रखा गया है।
